संख्या- 127/2021/685/41-2021-08(बजट)/2019

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 17 फरवरी 2021**

विषयः- मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद बहराईच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक के निर्माण की स्वीकृत परियोजना का **नाम परिवर्तन** किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6138/6-1-1/(44)/मु0मं0घो0/2018-19 दिनांक 10 फरवरी 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद बहराईच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक के निर्माण की परियोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा तैयार किये गये आगणन रू0-4361.79 लाख का व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक- 08 जनवरी 2021 में परीक्षण /मूल्यांकन कराये जाने के क्रम में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित /अनुमोदित लागत के अनुसार रू0 3949.06 लाख (रूपये उन्तालिस करोड उनचास लाख छह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 593.00 (रूपये पांच करोड तिरानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-104/2021/445/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 08 फरवरी 2021 द्वारा निर्गत की गई है। तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत इस परियोजना का नाम परिवर्तित कर जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चित्तौरा झील का विकास किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

3- अतः उक्त प्रस्ताव क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-104/2021/445/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 08 फरवरी 2021 द्वारा प्रदान की गई मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद बहराईच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक के निर्माण की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में प्रायोजना का नाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एतद्द्वारा परिवर्तित करते हुये ***<u>मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत</u>*** "***<u>जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चित्तौरा झील का विकास</u>*** " किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. संदर्भगत प्रायोजना की स्वीकृति के शासनादेश संख्या-104/2021/445/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 08 फरवरी 2021 के अन्य प्रस्तर/उपबन्ध/प्रतिबन्ध/शर्तें एवं स्वीकृति कार्यमदें /लागत आदि पूर्ववत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 127/2021/685/41-2021-08(बजट)/2019 तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल/जिलाधिकारी , बहराईच।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा प्रकोष्ठ ,लोक भवन ,उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अभिलेखों में तदनुसार प्रविष्टियां अंकित करने का कष्ट करें।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक / महाप्रबंधक(अयोध्या अंचल), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0,मेडिकल कालेज इकाई ,बहराईच।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन।
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अयोध्या।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।